

बजट 2022-23: अप्रत्यक्ष कर

प्रलिस के लयः

अप्रत्यक्ष कर, बजट, जीएसटी, वशष आर्थक क्षेत्र, मेक इन इंडया ।

मेन्स के लयः

वशषसनीय कर व्यवस्था ।

चरचा में क्योँ?

केंद्रीय बजट 2022-23 स्थर और पूरवानुमेय कर व्यवस्था की घोषति नीतः को जारी रखते हुए अधिक सुधार लाने का इरादा रखता है जो एक वशषसनीय कर व्यवस्था स्थापति करने के दृष्टकः को आगे बढ़ाएगा ।

अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जसै वस्तुओं और सेवाओं पर उस ग्राहक तक पहुँचने से पहले अधरःपति कया जाता है जो अंततः खरीदे गए सामान या सेवा के बाजार मूल्य के हससे के रूप में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है । उदाहरण के लयः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), आयात शुल्क ।

प्रमुख बडु

- **रकॉर्ड जीएसटी संग्रह:** कोरोनावायरस महामारी के बावजूद जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह ने 1.40 लाख करोड़ रुपए के रकॉर्ड को छुआ ।
 - जीएसटी सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शति करता है और 'एक बाजार-एक कर' के रूप में भारत के सपने को पूरा करता है ।
- **वशष आर्थक क्षेत्र:** SEZs का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी संचालति होगा और उच्च सुवधा एवं जोखमि-आधारति जाँच पर ध्यान देने के साथ सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा ।
- **सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर परवर्तन:** सीमा शुल्क प्रक्रया को पूरणतः फसलेस कर दया गया है । सीमा शुल्क सुधारों ने नमिनलखति के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है:
 - घरेलू क्षमता नरिमाण ।
 - MSMEs को समान अवसर प्रदान करना ।
 - कचचे माल की आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करना ।
 - व्यापार में सुगमता को बढ़ाना ।
 - PLIs और चरणबद्ध वनरिमाण योजनाओं जैसी अन्य नीतगित पहलों हेतु सक्षम होना ।
- **परयोजना आयात और पूंजीगत सामान: राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है ।**
 - इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और परणामस्वरूप आर्थक गतिविधियों में वृद्धि होगी ।
 - हालाँकि बजिली, उर्वरक, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खाद्य प्रसंस्करण जैसे वभिन्न क्षेत्रों के लयः पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क में कई छूटें दी गई हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तीन दशकों से भी अधिक समय तक की छूट दी गई है ।
 - इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के वकिस में बाधा डाली है ।
 - बजट में पूंजीगत वस्तुओं और परयोजना आयात में रयायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है ।
 - बजट में **7.5% का मध्यम टैरफि लागू** करने का प्रावधान है जो घरेलू क्षेत्र तथा **'मेक इन इंडया'** के वकिस के लयः अनुकूल होगा ।
- **क्षेत्र-वशषित प्रस्ताव:**
 - **इलेक्ट्रॉनकिस:** पहनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनकिस स्मार्ट मीटर के घरेलू नरिमाण की सुवधा के लयः एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क दरों को संतुलति कया जाना है ।
 - देश में कलाई में पहनने योग्य उपकरणों, सुनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनकिस स्मार्ट मीटर के उत्पादन हेतु **एकए चरणबद्ध वनरिमाण कार्यक्रम (PMP)** की घोषणा की गई ।
 - PMP शुरू में कम मूल्य के सामान के नरिमाण को प्रोत्साहति करेगा और फरि उच्च मूल्य के घटक के नरिमाण को बढ़ावा देगा ।
 - **रत्न और आभूषण:** कटगि और पॉलिश कयि गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दया गया है ।
 - साधारण तरीके से कटे हुए हीरे पर सीमा शुल्क नही लगाया जाएगा ।

- **एमएसएमई और नरियात:** भारत में नरिमति कृषा कषेत्र के लयि उपकरणों तथा उन उपकरणों पर छूट को युक्तसिंगत कयि जा रहा है।
 - इसके अलावा नरियात को प्रोत्साहति करने हेतु कई वस्तुओं पर छूट प्रदान की जा रही है।
- **ईधन के सम्मशिरण को प्रोत्साहति करने हेतु शुल्क:** ईधन के सम्मशिरण को प्रोत्साहति करने के लयि टैरफि उपाय शुरू कएि जाएंगे।
 - इस बीच ईधन के सम्मशिरण को और प्रोत्साहति करने हेतु 1 अक्टूबर, 2022 से गैर-मशिरति ईधन पर 2 रुपए/लीटर का अतरिकित अंतर उत्पाद शुल्क (Additional Differential Excise) लगेगा।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/budget-2022-23-indirect-taxes>

